



धनौरी पी० जी० कालेज धनौरी (हरिद्वार)

प्रेस विज्ञप्ति

राज्य सरकार द्वारा (Aided) सहायता प्राप्त उपरोक्त महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के निम्न पदों पर आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

पद नाम	पदो संख्या	आरक्षण
ड्राइंग	02	अनुसूचित जाति (भूतपूर्व सैनिक)-01, अनारक्षित (उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे)-01
जन्तु विज्ञान	01	अनुसूचित जाति (दिव्यांगजन)-01
रसायन विज्ञान	01	अनुसूचित जनजाति (उ०म०)-01
वनस्पति विज्ञान	02	अनारक्षित (स्वतंत्रता संग्राम सैनानी)-01, सामान्य-01
भौतिक विज्ञान	01	अन्य पिछड़ा वर्ग (उ०म०)-01

Educational Qualification

ASSISTANT PROFESSOR

A. Eligibility

- Master's degree with 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) in a relevant/allied subject from an Indian University, or an equivalent degree from an accredited foreign university.
- Besides fulfilling the above qualifications, the candidate must have cleared the National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by the UGC like SLET/SET or who have been awarded a Ph.D. degree in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of M.Phil./Ph.D. Degree) Regulations, 2009 or 2016 and their amendments from time to time as the case may be.

Provided further, candidates registered for the Ph.D. programme prior to July 11, 2009, shall be governed by the provisions of the existing Ordinances / Bye-laws / Regulations of the Institutions awarding the degree and such Ph.D. candidates shall be exempted from the requirement of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities / Colleges / Institutions subject to the fulfilment of the following conditions:-

- Ph.D. degree of the candidate awarded in regular mode only;
- Evaluation of the Ph.D. thesis by at least two external examiners;
- An open Ph.D. viva voce of the candidate had been conducted;
- Candidate has published two research papers from his/her Ph.D. work out of which at least one must be in a refereed journal;
- Candidate has made at least two presentations in conference/seminars, based on his/her Ph.D. work.

Note: (a) to (e) as above are to be certified by the Registrar/ Dean (Academic Affairs).

उपरोक्त अर्हता के सम्बन्ध में समय-समय पर यू0जी0सी0 और राज्य सरकार द्वारा जारी नियम एवं संशोधन लागू होंगे। उपरोक्त अर्हता में कोई भिन्नता होने पर संशोधित नियम लागू होंगे।

आयु सीमा: उपरोक्त सभी पदों हेतु आयु राज्य सरकार /यू.जी.सी. के नियमानुसार मान्य होगी।

आवेदक अपना आवेदन पत्र महाविद्यालय की वेबसाइट www.dhanauricollege.ac.in से डाउनलोड कर उसके साथ समस्त शैक्षिक व अन्य प्रमाण पत्रों की 3-3 स्वप्रमाणित छाया प्रतियां 3 रंगीन पासपोर्ट फोटो व निर्धारित आवेदन शुल्क (सामान्य/ओ.बी.सी./आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग रू0 1100/- अनु0 जाति/अनु0 जनजाति/दिव्यांगजन रू0 600/-) का **डिमांड ड्राफ्ट सचिव, धनौरी पी0 जी0 कालेज, धनौरी, हरिद्वार** के नाम देय हो, के साथ नीचे दिये गये पते पर केवल स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेज सकते हैं। महाविद्यालय में दिनांक 11.09.2023 सांय: 5:00 बजे तक प्राप्त आवेदन पत्र ही स्वीकार किये जायेंगे। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। आरक्षण का लाभ उत्तराखण्ड के मूल निवासियों के लिए ही मान्य होगा।

आवेदन पत्र भेजने का पता:

सचिव,
धनौरी पी0 जी0 कालेज,
धनौरी-247667 (हरिद्वार)
उत्तराखण्ड

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश:

1. आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी /अभ्यर्थिनी के पास अनिवार्य अर्हता धारित करना आवश्यक है। अन्तिम तिथि के बाद की अर्हता स्वीकार नहीं होगी।
2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित कोई रिक्ति उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण बिना भरे रह जाती है तो ऐसी रिक्ति अगले वर्ष हेतु बैकलॉग के रूप में अग्रेणित नहीं की जाएगी और इस प्रकार की रिक्ति सामान्य श्रेणी के उपयुक्त अभ्यर्थी से भरी जाएगी।
3. आवेदन-पत्रों के डाक द्वारा विलम्ब होने अथवा गुम होने का दायित्व महाविद्यालय का नहीं होगा।
4. सभी मूल प्रमाण-पत्रों की छायाप्रतियां स्वप्रमाणित कर तीन प्रतियों में आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। मूल प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करने होंगे।
5. साक्षात्कार की सूचना महाविद्यालय की वेबसाइट पर अथवा अलग से दी जायेगी।
6. केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, अशासकीय महाविद्यालय अथवा किसी अन्य संस्था /विभाग के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को अपने सेवा नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ अथवा साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
7. नियुक्ति के समय अभ्यर्थी को एक शपथ पत्र लाना आवश्यक है कि उसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित/विचाराधीन नहीं है और न ही उसे पहले कभी ऐसे किसी मामले में दंडित किया गया है।
8. लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में आवेदित पदनाम और आरक्षित वर्ग का उल्लेख अवश्य करना होगा, अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
9. अपेक्षित सूचनाओं से रहित अपूर्ण आवेदन-पत्र तथा ऐसे आवेदन -पत्र जिस पर अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर नहीं हैं, समय से प्राप्त होने के बावजूद निरस्त कर दिये जायेंगे। बिना निर्धारित शुल्क अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क वाले आवेदन-पत्र भी अस्वीकार कर दिये जायेंगे।
10. अभ्यर्थी प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन कर सकता है।

11. सीधी भर्ती हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेशों के आधार पर अनुमन्य होगा। जिसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
12. ऐसे अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जिनकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो अथवा महिला जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी हो।
13. महाविद्यालय को बिना कोई कारण बताए विज्ञापन/भर्ती प्रक्रिया को संशोधित/पुनर्निर्धारित/निलंबित/निरस्त करने का अधिकार है।
14. अभ्यर्थियों की पात्रता, उनके आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, उनके चयन/साक्षात्कार के तरीके से सम्बन्धित सभी निर्णय लेने का अन्तिम अधिकार धनौरी पी0जी0 कालेज, धनौरी की प्रबन्ध समिति को होगा जिसे स्वीकार करना सभी अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी होगा।
15. नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा।
16. आवेदन शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।
17. पूरी प्रक्रिया राज्य सरकार/यूजीसी/विश्वविद्यालय के प्रावधानों के अनुसार होगी।

सचिव – प्रबन्ध समिति
धनौरी पी0 जी0 कालेज,
धनौरी-247667 (हरिद्वार) उत्तराखण्ड